भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 351

बुधवार, 20 जुलाई, 2016/ 29 आषाढ़, 1938 (शक)

ठेका कामगारों को ई.पी.एफ.ओ. के अंतर्गत लाया जाना

351. श्री डी.राजा

क्या **श्रम एवं रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ठेका कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के दायरे में लाए जाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): ठेका कामगार पहले से ही कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत कर्मचारी की परिभाषा में उल्लिखित है कि स्थापना के कार्य के संबंध में या ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कोई व्यक्ति "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 353

बुधवार, 20 जुलाई, 2016/29 आषाढ़, 1938 (शक)

स्टॉक बाजार में ई.पी.एफ.ओ. निवेश

353. श्री टी. रतिनावेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के 6,577 करोड़ रु, जो कि ई. पी. एफ. की कुल धनराशि का लगभग 65 प्रतिशत है, के निवेश पर 1.57 की लाभ प्राप्ति, शेयर बाजार में लगाई गई निधि के लिए सकारात्मक थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि ई. पी. एफ. ओ. बाजार में निवेश के प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ई. पी. एफ. ओ. साथ ही साथ अन्य चीजों में भी निवेश करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 6,577 करोड़ रुपये के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर संपूर्ण लाभ 1.57 प्रतिशत था। तथापि, ईपीएफओ द्वारा 30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार 7,468 करोड़ रुपये के ईटीएफ निवेश पर संपूर्ण लाभ 7.45 प्रतिशत था।

(ख) से (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 23 अप्रैल, 2015 की निवेश-पद्धति के अनुसार, इक्विटी में निवेश तथा संबंधित निवेश में 5 से 15 प्रतिशत तक की अनुमति है। तथापि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने ईटीएफ में मात्र 5 प्रतिशत के निवेश को अनुमोदित किया है। वर्तमान में, इस सीमा को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अन्य चीजों में निवेश के संबंध में, ईपीएफओ द्वारा निवेश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित दिनांक 23 अप्रैल, 2015 की निवेश-पद्धति के अनुसार किया जाता है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 355

बुधवार, 20 जुलाई, 2016/29 आषाढ़, 1938 (शक)

ई. पी. एफ. ओ. निधियों का ई. टी. एफ. में निवेश

355. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हाल ही में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में किए गए निवेश के निष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा है; और

(ग) ई. पी. एफ. ओ. की निधियों का ई. टी. एफ. में आगे और निवेश के लिए क्या कार्यनीति बनाई गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा समय-समय पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में किए गए निवेशों की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा की जाती है। 30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार, 7,468 करोड़ रुपये के ईटीएफ निवेश पर संपूर्ण लाभ 7.45 प्रतिशत था।

(ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ ने 31.03.2015 को आयोजित अपनी 207वीं बैठक में कुल कायिक निधि का मात्र 5 प्रतिशत ईटीएफ में निवेश करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2015-16 में 6,577 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। वर्ष 2016-17 में भी केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ की 207वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्धित निधियों के 5 प्रतिशत का निवेश ईपीएफओ द्वारा किया जाना है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1105

बुधवार, 27 जुलाई, 2016/5 श्रावण, 1938 (शक)

ईपीएस अंशदान का भुगतान

1105. श्री टी. रतिनावेलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पेंशन स्कीम अंशदान के लिए विधेयक लाने के संबंध में अपने बजट में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए 'नव कर्मचारी' शब्द की परिभाषा निर्धारित करने का विचार है ताकि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ईपीएस अंशदान का भुगतान नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा; और

(घ) क्या यह योजना ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो प्रतिमाह 15,000 रुपये कमाते हैं और जिन्होंने किसी संस्थान में एक वर्ष के दौरान 240 दिन कार्य किया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(**क**)से (घ) रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016-17 के बजट में एक नई योजना **"**प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना**"** की घोषणा की गई है और 1000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह योजना वर्ष 2016-17 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को नए रोजगार के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए 8.33**%** ईपीएस अंशदान की प्रतिपूर्ति करके रोजगार बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

पीएमआरपीवाई योजना 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम मजदूरी कमाने वाले कामगारों हेतु लक्षित है। योजना के उद्देश्य हेतु, कोई नया कर्मचारी वह है जो 1 अप्रैल, 2016 के पूर्व से नियमित आधार पर कहीं भी कार्य नहीं करता रहा हो तथा जिसके पास 01.04.2016 को या इसके बाद एक नई आधार सीडेड सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) हो।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1125

बुधवार, 27 जुलाई, 2016 / 5 श्रावण, 1938 (शक)

असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ

1125. श्री पी एल पुनिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित क्षेत्र् के कामगारों की अपेक्षा असंगठित क्षेत्र के कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यदि हां, तो किन-किन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कितने-कितने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिल रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कुल कितने संगठित कामगारों को ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, क्या सरकार असंगठित कामगारों को भी ईपीएफ की सुविधा देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितने कामगारों को लाभ मिलेगा तथा इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। 2008 के इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के पंजीकरण और जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सुवाह्य स्मार्ट कार्ड जारी करने का प्रावधान है। इसके अलावा, 2008 के इस अधिनियम की अपेक्षा है कि कुछ मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाई जाएं जो इस प्रकार हैं: (i) जीवन और अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया जाने वाला कोई अन्य लाभ। उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची । में सूचीबद्ध

असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न स्कीमें निम्नानुसार हैं:

i. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
ii. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
iii. जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
iv. हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
v. हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
vi. मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन (वस्त्र मंत्रालय)
vii. मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना और प्रशिक्षण तथा विस्तार (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग)
viii. आम आदमी बीमा योजना (वित्तीय सेवा विभाग)
ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

असंगठित कामगार प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के लिए अपनी पात्रता के अनुसार लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ईपीएफओ के औसत अंशदाता सदस्य 376.23 लाख हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक ईपीएफ की सुविधा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1727

(जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2016/11 श्रावण, 1938 (शक) को दिया जाना है)

उद्यम वित्तपोषण में सरकारी निवेश

1727. श्री देवेंदर गौड टी.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार बीमा एवं न्यास राशि का उद्यम वित्तपोषण में निवेश करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या इस संबंध में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1921

बुधवार, 3अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 (शक)

भविष्य निधि प्रदान नहीं करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

1921. **डा. आर. लक्ष्मणन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों, जो अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि प्रदान नहीं करती हैं, के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान देश के सभी राज्यों में ऐसी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क)और (ख):कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में यथानिहित उपबंधों के अनुसार चूककर्ता स्थापनाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) बकाया रा शियों के निर्धारण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई:-

वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या
17665	18124	14087

(ii) बकाया रा शियों के विलंबित भुगतान के लिए क्ष तिपूर्ति की वसूली हेतु अधिनियम की धारा 14ख और ब्याज की वसूली के लिए 7फ के अंतर्गत की गई कार्रवाई:-

वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या
38363	79060	203781

(iii) अधिनियम की धारा 8ख से 8छ तक के अंतर्गत यथा उपबंधित वसूली की कार्रवाईयाँ:

मामलों की संख्या	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष2014-15
कुर्क बैंक खाते	12397	13151	20160
कुर्क चल संपत्ति	78	394	89
कुर्क अचल संपत्ति	125	119	107
गिरफ्तार चूककर्ता	30	45	64
चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी	21	9	5

(iv) सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई:-

वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या
2055	3811	1491

(v) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से काटे गए लेकिन निधि में जमा न कराए गए कर्मचारियों के अंशदान की गैर-अदायगी के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई:-

वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या
393	425	228

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1925

बुधवार, 3 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 (शक)

ईपीएफ ग्राहकों की संख्या

1925. श्री तपन कुमार सेन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान करने वाले अंशदाताओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) ईपीएफ के अधीन शामिल किए जाने के लिए उन पात्र कामगारों और कार्यालयों की अनुमानित संख्या कितनी है, जिन्हें वास्तव में शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) सभी पात्र कामगारों और कार्यालयों को ईपीएफ के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): वर्ष 2015-16 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के औसत अभिदाता सदस्यों के राज्यवार विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कारखाने तथा 20 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले अधिसूचित प्रतिष्ठान व्याप्ति के पात्र हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति के लिए पात्र निर्धारित किए गए किसी भी प्रतिष्ठान को व्याप्त किया जाएगा। अत:, अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त किए जाने के पात्र, लेकिन वास्तव में व्याप्त न किए गए कामगारों और प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या के आंकड़ों का अनुरक्षण संभव नहीं है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सभी पात्र कामगारों और प्रतिष्ठानों की व्याप्ति हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाईयां की जाती हैं:-

i. यह पता लगाने के लिए कि किसी प्रतिष्ठान ने अधिनियम के उपबंधों का पालन किया है या नहीं, अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत निरीक्षण किए जाते हैं।

ii. देयों के निर्धारण हेतु चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत कार्रवाई।

iii. इंजीनियरिंग कॉलेजों, दंत चिकित्सा कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, मसाला प्रतिष्ठानों, कॉफी निर्यातकों, निजी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि के संबंध में ईपीएफओ के केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना एकक द्वारा व्याप्ति-योग्य प्रतिष्ठानों के डेटा एकत्र किए जाते हैं तथा व्याप्ति-योग्य प्रतिष्ठानों को व्याप्त करने के लिए फ़ील्ड कार्यालयों को भेजे जाते हैं।

iv. अधिनियम की धारा 8ख से 8छ तक के अंतर्गत दिए गए उपबंधों के अनुसार संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी सहित वसूली की कार्रवाईयां।

v. सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

vi. कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से काटे गए लेकिन निधि में जमा न किए गए अंशदान के कर्मचारियों के भाग की गैर-अदायगी के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(आईपीसी) की धारा 409 के साथ पठित धारा 406 के अंतर्गत कार्रवाई।

*****

अनुबंध

ईपीएफ के ग्राहकों की संख्या के संबंध में श्री तपन कुमार सेन द्वारा दिनांक 03.08.2016 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1925 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2015-16 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के औसत अभिदाता सदस्यों के राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**औसत अभिदाता सदस्य (लाख में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.11
आंध्र प्रदेश	8.89
अरुणाचल प्रदेश	0.06
असम	2.03
बिहार	2.90
चंडीगढ़	1.42
छत्तीसगढ़	3.60
दादरा एवं नगर हवेली	0.05
दमन और दीव	0.82
दिल्ली	24.82
गोवा	1.64
गुजरात	24.11
हरियाणा	19.20
हिमाचल प्रदेश	2.59
जम्मू-कश्मीर	-
झारखंड	4.27
कर्नाटक	45.60
केरल	10.08
लक्षद्वीप	0.00
महाराष्ट्र	75.05
मध्य प्रदेश	9.02
मणिपुर	0.10
मेघालय	0.26
मिजोरम	0.04
नागालैंड	0.07
ओडिशा	6.78
पुडुचेरी	0.74
पंजाब	8.47
राजस्थान	8.76
सिक्किम	0.15
तमिलनाडु	44.49
तेलंगाना	24.04
त्रिपुरा	0.31
उत्तर प्रदेश	16.53
उत्तराखंड	4.77
पश्चिम बंगाल	24.46
कुल योग	**376.23**

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1927

बुधवार, 3 अगस्त, 2016/ 12 श्रावण, 1938 (शक)

ठेके पर कार्यरत कामगारों को ईपीएफओ के अधीन लाना

1927. श्री संजय राउत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि असंगठित क्षेत्र में बड़ी तादाद में कामगार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधीन शामिल नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ठेके पर कार्यरत कामगारों को भी ईपीएफओ के दायरे में लाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कब तक होने की उम्मीद है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ईपीएफओ योजना में शामिल करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंध 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले और अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में प्रवृत्त या केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान वर्ग से संबंधित प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है। जिन उद्योगों/प्रतिष्ठान वर्गों पर अधिनियम लागू होता है उनमें निम्नलिखित वर्ग शामिल हैं जो आमतौर पर असंगठित क्षेत्र के अधीन माने जाते हैं:-

- बीड़ी उद्योग
- ईंट उद्योग
- भवन एवं सन्निर्माण उद्योग

20 से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगार या किसी ऐसे प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले कामगार ईपीएफओ के अंतर्गत व्याप्त नहीं होते हैं जो न तो अधिनियम की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध हों और न ही सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान वर्गों में सूचीबद्ध हों। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 नामक अलग कानून विद्यमान है।

(ग) से (ङ): भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त किसी प्रतिष्ठान के काम के संबंध में अथवा उसमें किसी ठेकेदार द्वारा अथवा उसके माध्यम से नियोजित कामगार अधिनियम की धारा 2(च) में दी गई कर्मचारी की परिभाषा के अनुसार ईपीएफओ के दायरे में आते हैं। ठेका कामगारों के नामांकन पर निगरानी रखने के लिए ठेका कामगार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की उप-समिति गठित की गई है। ईपीएफओ ने प्रधान नियोक्ता का वेब पोर्टल विकसित किया है जहाँ नियोक्ता ठेकेदारों के ब्यौरे अपलोड करता है। इन ब्यौरों के आधार पर, संबंधित ईपीएफओ, क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय ठेका कामगारों के अनुपालन का अनुवीक्षण करेंगे और उसे सुनिश्चित करेंगे।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2715

बुधवार, 10 अगस्त, 2016/ 19 श्रावण, 1938 (शक)

ई.पी.एफ. अधिनियम में संशोधन

2715. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समयोपरि कार्य सीमा की अवधि आठ घंटे तक बढ़ाने संबंधी नीतिगत निर्णय पर कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में भी संशोधन का विचार रखती है ताकि इसकी व्याप्ति में शामिल होने के 20 कर्मचारियों के मानदंड को घटाकर 10 किया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): रोजगार को बढ़ावा देने हेतु समयोपरि कार्य सीमा की अवधि को 8 घंटे तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, समयोपरि घंटों की संख्या वर्तमान में 50 घंटे प्रति तिमाही से बढ़ाकर 100 घंटे (धारा 64) तथा वर्तमान में 75 घंटे प्रति तिमाही से बढ़ाकर 125 घंटे (धारा 65) करने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 64 तथा 65 में संशोधन हेतु प्रस्ताव चलाया है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु अधिकतम सीमा 20 से घटाकर 10 करने हेतु प्रस्ताव अधिनियम के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन में शामिल कर लिया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2731

बुधवार, 10 अगस्त, 2016/19 श्रावण, 1938 (शक)

अमरावती में कार्यालयों की स्थापना

2731. श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश की नयी राजधानी अमरावती में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) जैसे मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्यालयों/विभागों/संस्थानों की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से इस प्रयोजन से जमीन की खरीद तथा आवश्यक अवसंरचना हेतु अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसकी तत्संबंधी स्थिति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क से घ) वर्तमान में अमरावती, आंध्र प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कार्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में नया प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 123

(दिनांक 28.07.2016 को उत्तर के लिए)

विदेशों में तैनात अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि का बढ़ाया जाना

123. श्री हरिवंश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो वर्तमान में विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने अधिकारियों ने विदेशों में निर्धारित अवधि से अधिक समय व्यतीत किया है; और

(ग) प्रतिनियुक्त की अवधि को बढ़ाये जाने के मुख्य कारण क्या हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>विदेशों में तैनात अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के संबंध में दिनांक 28.7.2016 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 123 के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) एवं (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, 291 अधिकारी विदेशों में पदों/समनुदेशनों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं। पांच अधिकरी, जिनकी अनुमोदित अवधि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समाप्त हो गई थी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना ही निर्धारित समय से अधिक अवधि तक रहे हैं।

(ग) : अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की अवधि में विस्तार की अनुमति उनकी अवधि के साथ उनके बच्चों के शैक्षिक सत्र की समाप्ति तथा/अथवा कार्यात्मक आवश्यकता के साथ जोड़ने के लिए दी जा सकती है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*260
बुधवार, 10 अगस्त, 2016/19 श्रावण, 1938 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नियोक्ताओं का हिस्सा

*260. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ई.पी.एफ.एस.) में नियोक्ताओं के हिस्से में 1,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया था ताकि वे युवाओं को अधिक रोज़गार देने के लिए प्रोत्साहित हों, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने युवाओं को रोज़गार देने के लिए केन्द्र द्वारा दिए जा रहे लाभों का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ बैठक की थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

*

श्री मोहम्मद अली खान, सांसद द्वारा "कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नियोक्ताओं का हिस्सा" के संबंध में 10.08.2016 को पूछे गए राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *260 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ख): रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016-17 के बजट में एक नई योजना प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) की घोषणा की गई थी और 1000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जहां सरकार नए रोजगार के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में नियोक्ताओं के 8.33% अंशदान का भुगतान तीन वर्षों के लिए करेगी।

पीएमआरपीवाई योजना 15,000/- रुपए तक प्रति माह मजदूरी कमाने वाले कामगारों हेतु लक्षित है। योजना के उद्देश्य हेतु, कोई नया कर्मचारी वह है जो 1 अप्रैल, 2016 के पूर्व नियमित आधार पर कहीं अन्य कार्य नहीं करता रहा हो। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमइज) सहित नियोक्तताओं को लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रचार और जागरूकता अभियान पीएमआरपीवाई योजना का अभिन्न घटक है।

*****